



e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP02916196731161V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 03:00 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) up14790104/ ALAPUR/ UP-AMB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1479010401437070450435V
Purchased by	: CHANDRA SHEKHAR SINGH R G S RATUAPAR DIST AZAMGARH
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 100 (One Hundred only)
First Party	: CHANDRA SHEKHAR SINGH R G S RATUAPAR DIST AZAMGARH
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: CHANDRA SHEKHAR SINGH R G S RATUAPAR DIST AZAMGARH
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below the line



(प्रारूप-अ)


सन् 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप:-

हम राजेन्द्र सिंह तोमर एवं चन्द्रशेखर सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक राजीव ग्रामोद्योग संस्थान पता- ग्राम व पोस्ट- रतुआपार,तह0- बूढनपुर जनपद- आजमगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा त्रिलोकी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पता ग्राम व पोस्ट- रतुआपार,तह0- बूढनपुर जनपद- आजमगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम त्रिलोकी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पता ग्राम व पोस्ट- रतुआपार,तह0- बूढनपुर जनपद- आजमगढ़ मे गाटा संख्या 420 रकबा 0.81हे0 भूमि है।
3. यह कि,उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 420 रकबा 0.81 हे० भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना, किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 14.04.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के सम्मक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के सम्मक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का मलीभाति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।


H.O. प्रबंधक


H.O. अध्यक्ष

मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर संचालन हेतु
दिनांक
परिपुष्टि की सम्बद्धता सम्बद्धता के पत्रों द्वारा
व सम्बद्ध शिक्षा नकाशे
सम्बद्धता की पत्रिका - ...